



ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

Ref No. **AIACE/CENTRAL/2022 / 081**

Dated 22.8.2022

To
CMD, SECL
South Eastern Coalfields Ltd.,
Bilaspur
(CG)

Sub:-- Request for advising DAV, Bilaspur School Management to treat Retired executives at par with Working executives for the purpose of allowing concessional fee

Dear Sir,

Our member, Sri M I Hasan, Retd Sr Mgr(F), SECL Bilaspur retired from services in the year 2019.

At that point of time, his son Md Israq Hassan was a student of DAV, School, Bilaspur and was availing concessional fee from the school for being son of an executive of SECL as per agreement between School and SECL Management.

His son continued with the same school even after retirement of Sri Hassan. Now, suddenly after 3 years of retirement, the school has written to Sri Hassan withdrawing the concessional fee and demanding balance fees treating his son to be non-SECL ward. (vide Annexure)

It is a fact that for all practical purposes, employees of SECL are continued to be a part of SECL/CIL family and availing all post-retirement benefits including pension & medical. Yet, the interpretation of agreement by DAV School, in treating the son of an retired executive as non-SECL candidate, is beyond our imagination.

Under the circumstances, it is requested that the DAV School management be suitably advised to treat the son of Mr Hassan at par with SECL ward and not to raise demand for additional fees treating him as non-SECL candidate.

This noble gesture from your end to convince the DAV School management accordingly will go a long way in relieving Sri Hassan from extra financial burden.

Thanking You,

(P.K.SINGH RATHOR)
Principal General Secretary

Encl: Annexure as above

CC

D(P), CIL Kolkata.
D(F) / D(P), SECL, Bilaspur



DAV PUBLIC SCHOOL

VASANT VIHAR, SECL, BILASPUR

Ref. No. DAV/PS/BSM/2022/Sec.
सील,

दिनांक - 22-08-2022

श्रीमान् एम. आई. टखन,

क्र.नं. C-138,

कमल विहार, एसईसीएल,

बिलासपुर (द.ग.) पिन: 942505 - 31336

विषय :- विद्यालय शुल्क जमा हेतु।

महोदय,

सादर स्वागत है कि आपका पुत्र श्री. इशराक खान

कक्षा सातवी - A में अध्ययनरत है, चूंकि आपका विद्यालयीन शुल्क एसईसीएल कर्मचारी की दर से ली जा रही थी, चूंकि आपकी सेवानिवृत्ती क्र. दिनांक - 2019 में हो गई है। और आप एसईसीएल दर से विद्यालयीन शुल्क जमा कर रहे हैं।

अतः आपसे सूचित किया जा रहा है कि आप बिना एसईसीएल कर्मचारी होने के अन्य बच्चों के दर से जो कि विद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है जमा करे साथ ही साथ विगत वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23 का आपसे द्वारा जमा की गई राशि से अलावा

Principal

स प्रभु:



DAY PUBLIC SCHOOL

VASANT VIHAR, SECL, BILASPUR

कक्षा: 02

शेफ़रशि जो ठि निम्न है वर्ष : 2020-21 सारिठ. 24480/-
1860/- शेफ़र: रु. 22620/- वर्ष: 2021-22 सारिठ. 38380/-
-3330/- शेफ़र सारिठ. 35,150/- और बलिमाने पछ 2022-23 सारिठ
रु. 40,400/- हे को शीफ़रला शीफ़र जमा करने की ककर
करे।

धन्यवाद

Principals Kumarama
22/08/22
Principal
DAV Public School
Vasant Vihar, SECL
Bilaspur (C.G.) 495006

CANO- 191/22 भादो पत्र दि. 23/09/19 से
06/07/21 तक की सत्यप्रतिनिधि



IN THE HONOURABLE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, SURGUJA अपीकृत

Complaint Case No..... 723 of 2019

Between

The State (Govt. of India) represented by the Inspector of Mines appointed under Section 5 of the Mines Act, 1952.

Complainant

Vs

1. Sri Narendra Kumar Kenvat, Driver
2. Sri Pramod Kumar, Manager
3. Sri Anirudh Singh, Agent

Accused

Complaint petition filed by and on behalf of the above complainant, a public servant under the provisions of Section 200(a) of the Code of Criminal Procedure 1973 for trial of offences under Section 73, 72C(1)(a) & 72C(1)(b) of the Mines Act, 1952, shows as follows:-

I. Names, other particulars and address of the accused:

1. Sri Narendra Kumar Kenvat, Driver, S/o Sri Mohan Ram Kenvat, Village: Puhputra, Chilbilpara, Post Office: Lahpatra, Tahasil: Lakhanpur, District: Surguja (Chhatisgarh), Pin-497116.

2. Sri Pramod Kumar, Manager, Amara Opencast Project, M/s South Eastern Coalfields Limited, Post office: Bishrampur, District: Surajpur (Chhatisgarh), Pin-497226.

Permanent address: Village & Post: Adla, District: Chatra, Jharkhand, Pin-825103

3. Sri Anirudh Singh, Agent, Amara Opencast Project, M/s South Eastern Coalfields Limited, Post office: Bishrampur, District: Surajpur (Chhatisgarh), Pin-497226.
Permanent Address: Village & Post: Sahandi Badi, Police Station: Ratan Nagar, District: Churu, Rajasthan.

Filed with, Revision/ACTI
Plaint/Appel/Complaint/Succ
MJC/Execution/Comp

रजिस्टार
सेन्ट्रल फाइलिंग सेन्टर
कावा. जिला एवं को. न्यायाधीश
अधिकारालय (सर्गुजा) ज.प्र.



दीपक कुमार कोशले
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
ORDER SHEET

ANO - 1723/19

17/10/19

2

THE COURT मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर, सरगुजा
आपराधिक (परिवाद) प्रकरण / of 20

हू श ० शासन विरुद्ध नरेन्द्र कुमार केवल वर्गे

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	Signature of parties or Pleaders where necessary
-----------------------------	---	--

आज दिनांक 23.9.2019 को यह आपराधिक (परिवाद) प्रकरण श्री कसब फश्यप (शाधिकन) के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सीआईएस में फाईलिंग/पंजीयन पश्चात् इन्हें दिनांक 25.09.19 को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया।

Mr-
Manj Kumar & Sal
Noted
25/9/19
Gandhi

[Signature]
रजिस्ट्रार

सौदल फाईलिंग सेक्शन
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सरगुजा (अंबिकापुर) छोगा

25/9/19
परिवादी द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार केवल के
पक्षों का शकलिक पक्ष परिसर को नोडिफ
किया जाता है कि संपूर्ण परिवाद के लक्ष्य
के अनुसार कार्य पेश करे।
पक्षों को न्यायालय में उपस्थित करने हेतु 17.10.19

Noted
17/10/19
Gandhi

दीपक कुमार कोशले
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)



3

II-156
C. I.

Order Sheet [Contd.]

Case No. of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13/4/20	<p>4 (A) अथवा (B) के अन्तर्गत में प्रस्तुत की गई प्रतीति का प्रमाण के रूप में प्रमाणित है - दिनांक 8/4/20</p> <p>(अभिषेक शर्मा) जज (अतिरिक्त) प्रथम श्रेणी अदालत, मन्सूर (छ.प्र.)</p>	<p>Noted 8/4/2020</p>

अथवा



4

11/11/20
24/11/20

दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक तथा दिनांक 27.05.2020 से दिनांक 16.11.2020 तक न्यायालयीन कार्य स्थगित था।

माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक-114/(विविध)/दो-1/2020, दिनांक 16.10.2020 एवं कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा, अंबिकापुर के विविध आदेश पृष्ठांकन क्रमांक-1110/2020, अंबिकापुर दिनांक 10.11.2020 के अनुपालन में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

पक्षकारगण पूर्ववत्।

प्रकरण पं. म. ग. ड. र. र. हेतु नियत है।

उक्त प्रकरण माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक-114/(विविध)/दो-1/2020, दिनांक 16.10.2020 एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा, अंबिकापुर के विविध आदेश पृष्ठांकन क्रमांक-1110/2020, अंबिकापुर दिनांक 10.11.2020 की परीधी में शामिल नहीं होने से उक्त प्रकरण में तिथि दी गई।

प्रकरण वास्ते पं. म. ग. ड. र. र. हेतु

दिनांक- 16/03/2021

(अदिति ठाकुर)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0



र. म. ग. ड. र. र.



16/03/21

ਪਾਠਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਚ.
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ

[Handwritten signature]

Noted
25/3/21
Noted
25/3/21
[Handwritten signature]

25/03/21

ਪਾਠਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ

ਸ਼ -

ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ - 31-3-21

[Handwritten signature]
ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਟਰਿਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

31-03-21

ਪੀ.ਓ. ਆਰਕਾਏ ਪੁਸ਼ਟ
ਪਾਠਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ

ਸ਼ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ

ਪੁਸ਼ਟ ਪੰਜੀਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ - 12104121

[Faint official stamp]

10 / 06 / 2021

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दिनांक 13.04.2021 से दिनांक 28.05.2021 तक न्यायालयीन कार्य स्थगित था तथा दिनांक 29.05.2021 से दिनांक 05.06.2021 तक अकार्य दिवस था।

माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक-66/(विविध)/दो-14-1/2021, दिनांक 05.04.2021 एवं कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा, अंबिकापुर के संशोधित विविध आदेश पृष्ठांकन क्रमांक-क्यू/2021, अंबिकापुर दिनांक 07.06.2021 के अनुपालन में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

पक्षकारगण पूर्ववत्।

प्रकरण हेतु नियत है।

उक्त प्रकरण माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक - 66/(विविध)/दो-14-1/2021, दिनांक 05.04.2021 एवं कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा, अंबिकापुर के संशोधित विविध आदेश पृष्ठांकन क्रमांक-क्यू/2021, अंबिकापुर दिनांक 07.06.2021 की परीधी में शामिल नहीं होने से उक्त प्रकरण में तिथि दी गई।

प्रकरण वास्ते हेतु दिनांक- 20/7/21

(श्रीमती अदिति ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0

22.6.2021

प्रकरण के परिणती की कोरने
लालकाल अंबिकापुर से आकेदन पेश।
प्रकरण संख्या - 20.7.21

(अदिति ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंबिकापुर, सरगुजा (उ.प्र.)



क्यू-1



Order Sheet (Contd.)

Case No. - - - - - of 20- -

Date of Order of Proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders when
06/07/2021	<p>परिवादी की ओर से मनोज गुप्ता अधिवक्ता। अनावेदकगण अनुपस्थित।</p> <p>प्रकरण पंजीयन पूर्व तर्क हेतु नियत है।</p> <p>इसी स्तर पर परिवादी के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अंतर्गत परिवाद वापस लेने बाबत पेश किया गया है।</p> <p>परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं परिवादी के अधिवक्ता का तर्क इस प्रकार है कि अनावेदकगण को विभाग के द्वारा सजा दिया जा चुका है तथा परिवादी व अनावेदकगण के मध्य वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है, जिस कारण परिवादी उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर, उक्त परिवाद को वापस किए जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी के द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 73, 72C(1)(a) & 72C(1)(b) Mines Act 1952 के अंतर्गत आपराधिक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था चूंकि आवेदक के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर, यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदकगण को विभाग के द्वारा सजा दिया जा चुका है तथा उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और अब वह प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर, अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक परिवाद अंतर्गत धारा 73, 72C(1)(a) & 72C(1)(b) Mines Act 1952 निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, अभिलेख समय अवधि में व्यवस्थित कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p>(कुमारी इंदीरा गोस्वामी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0</p>	<p>Notal 6/7/21</p> <p>सत्यप्रतीति मुख्य अतिरिक्त कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर (सरगुजा) छ0ग0</p>

12/01/22

11/01/22	1. आवेदन-पत्र की प्राप्ति का दिनांक
19/01/22	2. आवेदक को उपस्थिति हेतु बोर्ड का दिनांक
12-1-22	3. आवेदक को उपस्थिति होने की दिनांक
11/01/22	4. आवेदन-पत्र (अर्थात्) को जारी दिनांक को दिनांक
12/01/22	5. आवेदन पत्र को जारी करने के बाद आवेदक को उपस्थिति हेतु बोर्ड का दिनांक
—	6. आवेदक को उपस्थिति हेतु बोर्ड का दिनांक
—	7. आवेदक को उपस्थिति हेतु बोर्ड का दिनांक
—	8. आवेदक को उपस्थिति हेतु बोर्ड का दिनांक
12/01/22	9. प्रतिनिधि संवर्गों को दिनांक
12-1-22	10. प्रतिनिधि संवर्गों को दिनांक
A.S. 18-1-22	11. आवेदक को न्याय शुल्क (नोट कर)

प्रतिपक्षता

12-1-22

12-1-22